

प्रेषक,

जीवन चन्द्र जोशी,
वित्त नियंत्रक,
वन विभाग, उत्तराखण्ड।

वेबसाइट www.forest.uk.gov.in/
फोन / फैक्स:-0135-2741607, 2742641
ई-मेल:-ccfpfmua@gmail.com

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

देहरादून: दिनांक: 28 सितम्बर, 2021

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में वन विभाग के अनुदान सं0-27 की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-070-03-00-वन संचार साधन-पुल टेलीफोन तथा भवन" के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त बजट का आवंटन।

संदर्भ :- शासनादेश संख्या 1205/X-2-2021-12(39)2012 दिनांक 25 जून, 2021 (छायाप्रति संलग्न)।
महोदय,

उक्त सन्दर्भित शासनादेश एवं उसके साथ संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. S21060270020 दिनांक 24.06.2021 से वित्तीय वर्ष 2021-22 में वन विभाग के अनुदान सं0-27 की राज्य सैक्टर योजना "2406-01-070-03-00-वन संचार साधन-पुल टेलीफोन तथा भवन" के अन्तर्गत शासन से अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹2,00,00,000/- (दो करोड़ मात्र) के सापेक्ष विभागाध्यक्ष द्वारा पूर्व में अवमुक्त/जारी की गयी धनराशि ₹1,61,30,000/- (एक करोड़ इकसठ लाख तीस हजार मात्र) के अतिरिक्त वर्तमान में जारी किये जाने हेतु अवमुक्त धनराशि ₹3,00,000/- (तीन लाख मात्र) का IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ ऑन लाईन बजट का आवंटन करते हुये प्रिन्ट आउट की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न कर प्रेषित की जाती है :-

1-समस्त सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा संदर्भित शासनादेश में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2-अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा आर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तदनुसार उक्त मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

3-अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-423/09(150)-2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 31.03.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

4-अवमुक्त की जा रही धनराशि से मात्र योजना से सम्बन्धित कार्य ही कराया जाना सुनिश्चित करें एवं ऐसे कार्य न कराए जिन हेतु राज्य सैक्टर में अलग से योजना उपलब्ध है, यदि योजना से इतर कार्यों को कराना पाया गया तो इस हेतु सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होगा।

5-कार्यों को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

6-अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-7 (वन लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रैक्टोरमैट) नियमावली 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7-निर्माण कार्य हेतु अनुमोदित दर अनुसूची (SOR) आधार पर गठित आंगणन का सक्षम/प्राधिकृत स्तर से परीक्षण एवं तदोपरान्त सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर ही आहरण एवं व्यय किया जायेगा।

8-आगणन के प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी एवं वन संरक्षक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।


9-बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्यय भार/दायित्व सृजित किया जाये।

10-आवंटित/जारी धनराशि के सापेक्ष मासिक व्यय का विवरण निर्धारित प्रपत्र बी.एम.-4 में कार्यालयवार भरकर बिलम्बतम प्रत्येक माह की पहली तारीख तक प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजा जायेगा।

(2)
11-संदर्भित शासनादेश एवं उक्त बिन्दु संख्या-1 से 10 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में "वन संचार साधन-पुल टेलीफोन तथा भवन" हेतु सक्षम स्तर/अपर प्रमुख वन संरक्षक,नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन,उत्तराखण्ड देहरादून से निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों की प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार



भवदीय,

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

-(2)-

संख्या: नि0-1226 (1)/3-2 (वन संचार-पुल तथा भवन) तददिनांकित।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड,देहरादून।
- 2- महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 3- अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 4- अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4,उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6- समस्त सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड को IFMS पोर्टल के माध्यम से विभाग के सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को ऑन लाईन आवंटित बजट की प्रति संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त बिलों का नियमानुसार भुगतान करने का कष्ट करें।
- 7- प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- प्रमुख वन संरक्षक(वन्य जीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,उत्तराखण्ड देहरादून।
- 9- मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल उत्तराखण्ड।
- 9- वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून, उत्तराखण्ड।
- 10-उप वन संरक्षक, आइ0टी0जी0सी0, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त जारी धनराशि को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार




(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

आवंटन पत्र संख्या -Ni-1226

आवंटन आई डी-H21090270053

अनुदान संख्या-027

आवंटन पत्र दिनांक-28-SEP-2021

लेखा शीर्षक

2406-वानिकी तथा वन्य जीवन

01-Forestry

070-संचार तथा भवन

03-वन संचार साधन-पुल,टेलीफोन तथा भवन

00-वन संचार साधन-पुल,टेलीफोन तथा भवन

Voted

2	4	0	6	0	1	0	7	0	0	3	0	0
मानक मद का नाम				पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग					
51-अनुरक्षण				1000000	300000	0	1300000					
योग				1000000	300000	0	1300000					

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.3,00,000 (Rupees Three Lacs Only)

Batch ID : DIS:4260:4260:2109:0053

Approval Status : APPROVED BY OFFICER




वित्त नियंत्रक
 वन विभाग
 कार्यालय
 पणुख का संरक्षक उत्तराखण्ड
 देहरादून